

#### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित

# PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3683]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 13, 2019/कार्तिक 22, 1941

No. 3683]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 13, 2019/KARTIKA 22, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2019

सं. 32/2015-2020

विषय : लोहा और इस्पात की आयात नीति में संशोधन करने और आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची—I (आयात नीति) के अध्याय 72, 73 और 86 में नीतिगत शर्त को शामिल करने के संबंध में।

का.आ. 4096(अ).—समय—समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पिटत, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 05 सितम्बर, 2019 के का.आ. 3214(अ) के तहत भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 17/2015—2020 दिनांक 05 सितम्बर, 2019 के द्वारा शामिल नीतिगत शर्तों के भाग ड. को निम्नानुसार संशोधित करती है:

ड. **एसआईएमएस 21.11.2019 से प्रभावी होगा** अर्थात् इस अधिसूचना के अनुलग्नक में यथा सूचीबद्ध मदों के लिए दिनांक 21.11.2019 अथवा उसके बाद का प्रविष्टि बिल एसआईएमएस द्वारा अभिशासित होगा।

अधिसूचना का प्रभाव : एसआईएमएस पंजीकरण प्राप्त करने के लिए 20.11.2019 तक एक बारगी छूट अधिसूचित की जाती है।

[फा. सं. 01/89/180/मोनी-5852/एएम-03/पीसी-2(क)/पार्ट.III/ई-2787]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं

पदेन अपर सचिव

टिप्पणी : दिनांक 17 जनवरी, 2017 की प्रधान अधिसूचना संख्या 36/2015—2020 भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 17 जनवरी, 2017 के का.आ. 172(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और दिनांक 05 सितम्बर, 2019 की अधिसूचना सं. 17/2015—2020 के तहत संशोधित और दिनांक 05 सितम्बर, 2019 के का.आ. 3214(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।

5873 GI/2019 (1)

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

## (Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th November, 2019

### No. 32/2015-2020

Subject: Amendment in import policy of Iron & Steel and incorporation of policy condition in Chapter 72, 73 and 86 of ITC (HS), 2017, Schedule–I (Import Policy).

- **S.O.** 4096(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends Para e of the Policy conditions incorporated vide Notification No. 17/2015-2020, dated 5th September, 2019 published in the Gazette of India (Extraordinary) *vide* S.O. 3214(E), dated 5th September, 2019, as under:
  - e. **The SIMS will be effective from 21.11.2019**, i.e. Bill of Entry on or after 21.11.2019 for items as listed in the Annex to this Notification shall be governed by SIMS.

Effect of the Notification: One time relaxation till 20.11.2019 for obtaining SIMS registration is notified.

[F. No. 01/89/180/Moni-5852/AM-03/PC-2(A)/Pt.III/e-2787]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade &

Ex-officio Addl. Secy.

**Note :** The principal notification No. 36/2015-2020, dated the 17th January, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 172(E), dated the 17th January, 2017 and amended *vide* Notification No. 17/2015-2020, dated 5th September, 2019 and published in the Gazette of India *vide* S.O. 3214(E), dated 5th September, 2019.